UPLL010026092026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०), ललितपुर।
उपस्थित – नीरज कुमार महाजन , उच्चतर न्यायिक सेवा,
जे. ओ. कोड़ - UP 2673
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 810 वर्ष 2026,

प्रागीलाल तनय रामसेवक निवासी ग्राम सीरोन कलां थाना जखौरा जिला ललितपुर।
...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य
...अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 1757/2022
अंतर्गत धारा 138(1)(b) Electricity Act
थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट ललितपुर, जिला ललितपुर।

आदेश

29-06-2026:

अभियुक्त **प्रागीलाल तनय रामसेवक** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र विशेष सत्र परीक्षण संख्या **1941/2025,** उ.प्र. राज्य प्रति **प्रागीलाल** अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनयम, थाना एंटी पावर थेफ्ट ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त विशेष सत्र परीक्षण संख्या **1941/2025,** उ.प्र. राज्य प्रति **प्रागीलाल** अन्तर्गत धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनयम, थाना एंटी पावर थेफ्ट ललितपुर में आत्मसमर्पण करने पर न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त का कथन है कि वह बेगुनाह व बेकसूर है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वादी मुकदमा ने उसको झूठा फंसा दिया है। उसने कभी भी किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नहीं की है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। इसी आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर विरोध करने हेतु विद्युत विभाग का पैरोकार उपस्थित है।

जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व में बकाया धनराशि होने के कारण विच्छेदित कर दिया गया था जिसे दिनाँक 13.06.2022 को चैकिंग के दौरान जोडकर विद्युत उपभोग करते हुए पाये जाने का आरोप है।

अभियुक्त को पूर्व में अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया था ।

अभियुक्त आत्म समर्पण करने के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। मामला इसी न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण से संबंधित कुछ धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है । मामले के शीघ्र निस्तारण की संभावना अत्यंत क्षीण प्रतीत होती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक **14293/Admin. G-II Dated 04-11-2025** के माध्यम से **Crl. Misc. Application U/S 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi v. State of U.P. And Another** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँकित **12-08-2025** के **प्रस्तर क्रमांक 46** में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियुक्त/सिद्धदोष अभियुक्त से केवल एक प्रतिभू लेकर जमानत पर रिहा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अभियुक्त द्वारा मुबलिग 20000/- (बीस हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक जमानत प्रतिभू (पूर्व में दाखिल) दाखिल करने पर अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है।

(नीरज कुमार महाजन),
अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश
(आवश्यक वस्तु अधि०),
ललितपुर।